संख्या-51/2016/आर-808/26-3-2016-4(58)/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 मार्च 2016

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद-बस्ती के विकास कार्यो स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1863/स0क0/विकास/एकीकृत विकास योजना/85/2015-16, दिनांक-08.03.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-89/2015/2807/26-3-2015-4(58)/2015, दिनांक-31.08.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्र्तगत संचालित **अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के** विकासखण्ड-कुदरहा के ग्राम-बैडारी, बेनीपुर, छरदही एवं जिभियायें (कोइलीपुरवा) एवं विकासखण्ड-बस्ती सदर के ग्राम-हवेलीखास में इण्टरलांकिंग एवं नाली निर्माण, ढ़क्कन तथा सी0सी0 रोड़ निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार देय अवशेष कुल धनराशि रूपया-742.91 लाख (रूपया सात करोड़ बयालिस लाख इक्यान्वे हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	कुदरहा	बैडारी	इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण	198.51	50.00	148.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	"	बेनीपुर	"	199.05	50.00	149.05
3	"	छरदही	"	197.22	50.00	147.22
4	"	जिभियायें (कोइलीपुरवा)	"	198.85	50.00	148.85
5	बस्ती सदर	हवेली खास	सी.सी. रोड़ नाली ढक्कन निर्माण	199.28	50.00	149.28
कुल योग				**992.91**	**250.00**	**742.91**

(1)- प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)- कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं एवं लागत को यथावत मानते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतएव स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)- संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।

(5)- उक्त कार्य हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन यूनिट-11, फैजाबाद कार्यदायी संस्था होगी।

(6)- उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7)- उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

231/2015, दिनांक-30, मार्च 2015, में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01--अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30, मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1)</u>

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

<u>पृ0संख्या-51/2016/आर-808(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन यूनिट-11,, फैजाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. समाज कल्याण,बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र–बी0एम0–9 (पार्ट–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम :– 83 द अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2015–2016 (धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक आयोजनागत	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	आवंटन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवंटन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0104–अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण (के.50/रा.50–के.+रा) –24–वृहत निर्माण कार्य–	70997	70997	70997	70997	00
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–08–सैद्धिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास–24–वृहत निर्माण कार्य–	30000	3294	3294	3294	26706
योग	100997	74291	74291	74291	26706

लेखाशीर्षक आयोजनागत	निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	139192	213483	74291	74291	213483
योग	139192	213483	74291	74291	213483

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आश0–544/दस–2016, दि0 16-8-16

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

संख्या–51/2016/आठ(1)/26–3–2016–तद्दिनांक। –2–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बस्ती।
3. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बस्ती।
5. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
8. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।